No.11035/12/2013-NI-III
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
(NI Division)

NDCC-II Tower, 'A'-Wing,
4th Floor, New Delhi -110001.
Dated the 4th July, 2013

To,

The Secretary,
National Foundation for Communal Harmony,
9th Floor, Lok Nayak Bhawan,
New Delhi -110003.

Subject: Transfer of the RTI application.

Please refer to the RTI Cell's OM No. A-43020/01/2013-RTI dated 31.5.2013 forwarding the RTI application dated 06.5.2013 of Smt. Shashi Prabha Agarawal seeking information regarding National Communal Harmony Award 2011, received in this Division on 20.6.2013 (copy enclosed).

2. Since the information requested by the applicant under point 1 to 3 is concern of the National Foundation for Communal Harmony (NFCH), the application is transferred to the NFCH under section 6(3) of the RTI Act, 2005 for necessary action.

3. So far as point 4 is concern a copy of RTI application dated 06.5.2013 is being circulated to all the CPIOs of this Ministry with the request to provide requisite information directly to the applicant on Point 4.

Encl: As above.

(Dr. R.K. Mitra)
Joint Secretary (NI) & CPIO
Tel: 23438111

Copy to:

(By Speed Post)

1. Smt. Shashi Prabha Agrawal, R-10, HIG Sector-23, Sanjoy Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh with request to approach various other Minister/Department about the awards if any instituted by them on Point 4 which are under preview of other CPIOs of the various Ministries / Departments. As per information available with the undersign CPIO, the Govt. Of India instituted a National Award designated as "Kabir Puraskar", to promote communal, caste and ethnic harmony. These awards are announced on 2nd October every year. The details of the same are available in the web link http://mha.nic.in.

2. CPIOs of MHA (as per list attached) for taking appropriate action in respect of Point 4 of the RTI application dated 06.5.2013 and providing the requisite information directly to the applicant.

3. Shri S. Samanta, US (RTI) /CPIO, MHA, New Delhi w.r.t. OM No. A-43020/01/2013-RTI dated 31.5.2013.

RTI-14/NI-III/13
2/6
आर टी आई आवेदन/अपील

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

RTI-155/JS(WII)/13
20/6/13

नई दिल्ली, दिनांक : 31/05/ 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री शशि प्रभा अग्रवाल .... का आवेदन।

******

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री ....शशि प्रभा अग्रवाल.................. के दिनांक 21 / 5 /2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में ..... --- .... से अंतरण द्वारा दिनांक 27 / 05 /2013 को प्राप्त) को ....एन आई .... प्रभाग को अंतरित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाए।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 29.05.2013 की रसीद सं. ....24754........ के तहत जमा कर दिया है/जमा नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथोपरि

सु. सामंत
(सु. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
........निदेशक (एन आई)
गृह मंत्रालय
एन डी सी सी-II भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली
....

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/श्रीमती/सुश्री .... शशि प्रभा अग्रवाल
एफ-16, एन आई सी
सेक्टर-23, राजनगर
गाजियाबाद (उ.प्र.)
(उनसे अनुरोध है कि ...

RTI
P
2016
US(NI-3)
R.O. (NI-III)
20/6/13
S.O.-DO

(2)

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6

(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i)

रसीद / RECEIPT

सं. /No. **24754**

दिनांक 20
Dated ....20......

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km. ....

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ .... के दिनांक 20
with Letter No./Reference No. .... Dated........20........

बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. ....

के रूप में रुपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash ....

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्याक्षर /Initials

रूपये / *Rs.* ____________

पदनाम / Designation

(3)

<u>आर टी आई मामला/समयबद्ध</u>

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक: 10/05/2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी शशि प्रभा अग्रवाल **का आवेदन।**

*****

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपने दिनांक 6/5/2013 के आवेदन का अवलोकन करें जो इस मंत्रालय में दिनांक 09/05/2013 को ---------- द्वारा अंतरण से प्राप्त हुआ था। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियमन) नियमावली के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध 10/- रु. के आवेदन शुल्क के साथ होना चाहिए, जो कि उपयुक्त रसीद प्राप्त कर नकद, अथवा उस लोक प्राधिकारी, जिससे सूचना मांगी जा रही है, के "<u>लेखा अधिकारी</u>" को देय उपयुक्त डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से दिया जा सकता है।

2. आपके ऊपर-उल्लिखित सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन में निम्नलिखित कमियां पाई गई थी:

i) 10/- रु. का शुल्क प्रेषित नहीं किया गया है जो कि गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी के लिए आवश्यक है;

ii) शुल्क को कोर्ट फी स्टैम्प/गैर-न्यायिक पेपर/अकाउंट पेई चैक/ डाक टिकट/ ---------- के माध्यम से भुगतान किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत भुगतान का वैध माध्यम नहीं है।

iii) --------/-रु. का डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शुल्क नहीं है।

iv) प्रस्तुत किया गया ~~डिमांड ड्राफ्ट~~/भारतीय पोस्टल ऑर्डर उचित प्राधिकारी के पक्ष में देय नहीं है। यह "**लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय**" के पक्ष में देय होना चाहिए।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपके सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन को 10/रु. के आई पी ओ/~~डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/गैर-न्यायिक पेपर/कोर्ट फी स्टाम्प~~ ---------- (सं. 14F 452067) के साथ मूल रूप में वापिस किया जाता है। एवं 18F 181131

<u>संलग्नक:</u> उपर्युक्त के अनुसार

Returned back w/o covering letter for payment in favour 27/5/13

(श्रीनिवास प्रधान)

उप सचिव (ई) एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

श्री/श्रीमती/सुश्री ---- शशि प्रभा अग्रवाल

[illegible]

निदेशक (ए) उपसचिव

3535/RTI/13 28/5

DIR(AV)

दिनांक ~~13.02.2012~~ 06.05.2013

श्रीमान सचिव

गृह मंत्रालय भारत सरकार

नई दिल्ली

09 MAY 2013

598

3000/R/12/2013
10/5/13

विषय:– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत आवश्यक जानकारी।

महोदय,

पिछले वर्ष आपके कार्यालय पत्रांक सं0 D.O. No 4/2(1)/2011-NFCH dt-12.5.2011 के द्वारा राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार 2011 देने हेतु नामांकन मांगे गये थे इस संदर्भ में मुझे आपसे निम्नलिखित जानकारियाँ चाहिये.......

1. वर्ष 2011 में उपरोक्त पुरस्कार किस महानुभव/संस्थाओ को दिये गये उनका विवरण।
2. क्या वर्ष 2012 में भी राष्ट्रीय सम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार दिये जाने की योजना है यदि हाँ तो इसके नामांकन हेतु कब जानकारी मांगी जायेगी।
3. क्या राष्ट्रीय सम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा दिये जाते है।
4. सर्व समाज के लिये निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाली संस्थाये/व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार द्वारा कौन–कौन से पुरस्कार वर्ष में घोषित किये जाते है।विवरण सहित।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी सूचना अधिनियम के अर्न्तगत अविलम्ब देने की कृपा करें निर्धारित शुल्क पोस्टल आर्डर के रूप में संलग्न है।

संलग्न–10रू0 का पोस्टल आर्डर

62F – 181131
152067

भवदीय

(शशि प्रभा अग्रवाल)

एफ–10 एच.आई.जी. सै0–23

संजयनगर गाजियाबाद

Fee clause

सं0 5/12/2013 - पी पी -।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नीति नियोजन प्रभाग

एन.डी.सी.सी.।।, तीसरा तल, ए विंग,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
नई दिल्ली, दिनांक:10 जुलाई, 2012

Speed Post

11 JUL 2013

सेवा में,

श्रीमती शशी प्रभा अग्रवाल
एफ-10, एच.आई.जी. सेक्टर 23,
संजय नगर,
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई जानकारी ।**

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने दिनांक 6.5.2013 के आर.टी.आई. आवेदन का संदर्भ ग्रहण करें जो आर.टी.आई अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रभाग को इस मंत्रालय के एच.आर. प्रभाग के डा0 आर.के. मित्रा, संयुक्त सचिव (एन.आई.) और सी.पी.आई.ओ से अंतरित होकर दिनांक 09.07.2013 को प्राप्त हुआ है। इसकी एक प्रति आपको तथा इस मंत्रालय के सी.पी.आई.ओ को भी भेजी गई है।

2. जहां तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत इस प्रभाग के कार्य का संबंध है, आपके आर.टी.आई आवेदन के पैरा 4 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना **'शून्य'** समझी जाए।

भवदीय,

बी.के.पंत

(बी. के. पंत)

उप सचिव, भारत सरकार एवं सी.पी.आई.ओ.

प्रतिलिपि प्रेषित:

डॉ0 आर.के. मित्रा, संयुक्त सचिव (एन.आई.) एवं सी.पी.आई.ओ को उनके दिनांक 04 जुलाई, 2013 के पत्र सं. 11035/12/2013-एन.आई.।।। के संदर्भ में।